GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 3051 TO BE ANSWERED ON 20.03.2023

EMPLOYEES AND PENSIONERS TO OPT FOR HIGHER PENSION

3051. SHRI MANICKAM TAGORE B.: SHRI A. GANESHAMURTHI: SHRIMATI SAJDA AHMED:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

- (a)whether the Government has issued any direction to Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) to take steps for immediate follow-up to the Supreme Court's directions on enabling concerned employees and pensioners to opt for higher pension and if so, the details thereof:
- (b)whether any circular issued by EPFO and opened online facility to pensioners and employees for exercising the higher pension option, since the deadline is 4th March and if so, the details thereof;
- (c)whether the deadline would be extended in view of short time left for the employers and employees and if so, the details thereof;
- (d)whether the Government has completed the mechanism for claiming higher provident fund pensions by employees and if so, the details thereof;
- (e)whether the Government is planning to formulate a policy to ensure the guaranteed return on EPF to ensure retirement planning; and (f)if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI RAMESWAR TELI)

(a) to (d): As per directions contained in paragraph 44(ix) read with paragraph 44(v) and (vi) of the Hon'ble Supreme judgment dated 04.11.2022, online applications were called by Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) on 29.12.2022 from pensioners who had retired before 01.09.2014 and had exercised joint option for contributing in pension fund on salary exceeding wage ceiling before

Contd..2/-

their retirement but whose joint options were rejected by the EPFO (on account of cut-off date). Joint options were to be filed on or before 03.03.2023. Now this date has been extended 03.05.2023. Further, as per directions contained in paragraph 44(iii) & paragraph 44 (iv) read with paragraph 44(v) of the judgment of Hon'ble Supreme Court dated 04.11.2022, instructions have been issued by EPFO on 20.02.2023 for online joint options to be filed by the employees who were in service prior to 01.09.2014 and continued to be in service on or after 01.09.2014 but could not exercise joint option under erstwhile proviso to paragraph 11(3) of Employees' Pension Scheme (EPS), 1995. Joint options can be filed on or before 03.05.2023.

(e) & (f): No such proposal is under consideration.

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3051

सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्ग्न, 1944 (शक)

कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन का विकल्प देना

3051. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

श्री ए. गणेशमूर्ति:

श्रीमती साजदा अहमद:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को संबंधित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने में सक्षम बनाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का तत्काल अनुपालन करने के लिए कदम उठाने हेतु कोई निर्देश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कोई परिपत्र जारी किया गया है और पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन विकल्प का प्रयोग करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है क्योंकि इसकी अंतिम सीमा 4 मार्च है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए कम समय शेष रहने के कारण समय-सीमा बढ़ाई जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने कर्मचारियों द्वारा उच्च भविष्य निधि पेंशन का दावा करने के लिए पूर्ण तंत्र गठित कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ड) क्या सरकार सेवानिवृत्ति योजना सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर गारंटीकृत प्रतिफल स्निश्चित करने के लिए कोई नीति बनाने की योजना बना रही है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(ix) जो पैरा 44(v) और (vi) के साथ पठित है, में निहित निर्देशों के अनुसार, दिनांक 29.12.2022 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दिनांक 01.09.2014 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था परंतु जिनके संयुक्त विकल्पों को ईपीएफओ द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था (अंतिम तिथि के आधार पर) से ऑनलाइन आवेदन की माँग की गई थी। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.03.2023 तक या उससे पूर्व भरे जाने थे। अब इस तारीख को 03.05.2023 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(v) जो पैरा 44(iii) और पैरा 44 (iv) के साथ पठित है, में निहित निर्देशों के अनुसार, ईपीएफओ द्वारा दिनांक 20.02.2023 को उन कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन संयुक्त विकल्प भरे जाने हेतु निदेश जारी किए हैं जो दिनांक 01.09.2014 से पूर्व सेवा में थे और दिनांक 01.09.2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे परंतु कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पैरा 11(3) के पूर्ववर्ती परन्तुक के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाए। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.05.2023 को या उससे पूर्व भरे जा सकते हैं।

(ङ) और (च): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
